शिशुपाल सिंह बनाम बंशीधर आदि
2021/16
2021/17
निर्णय दिनांकः–08.12.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2021/16, 17 दर्ज तिथिः–22.03.2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
शिशपालसिंह		बंशीधरसिंह आदि
जरिये अधिवक्ता श्री रिषीराज शेखावत		जरिये अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–09
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–08.12.2025

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 दावा संख्या 480/2018 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 212 प्रार्थना 34/2018 शिशुपाल सिंह बनाम बंशीधर आदि निर्णय दिनांक 04.03.2021 को प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा व प्रार्थना–पत्र रिस्टोर किये जाने निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः–

- उपरोक्त अनवानी दावा वादी/प्रार्थी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा था जिसमें पत्रावली दिनांक 04.03.21 को नियत थी। उपरोक्त दावा में वकील वादी लगातार अदालतवाला में उपस्थित होकर पैरवी करते आ रहे है उक्त दिनांक को वकील वादी अन्य अदालतों में अदालती कार्य में व्यस्त होने के कारण अदालतवाला के समक्ष अदालत में उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण प्रार्थी/वादी का उक्त वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया। वादी भी चूरू से बाहर रहकर व्यवसाय करता है जिस कारण दिनांक 04.03.21 को उपस्थित नहीं हो सका। यह कि सभी न्यायालयों का समय एक जैसा होने से वादी अधिवक्ता तथा अन्य अधिवक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह कि न्यायालय ने दावा वादी दिनांक 04.03.2021 को एक पक्षीय रूप से खारिज कर दिया जिसका ज्ञान दिनांक [illegible] को [illegible] जानकारी से उचित न्याय शुल्क पर प्रार्थना–पत्र अंदर मियाद पेश किया [illegible] प्रार्थना–पत्र को सुनवाई व वाजवे नंबर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:04 IST
Reason: SelfAttested

पुनः दर्ज कर नियमित सुनवाई का अधिकार अदालतवाला का है इसलिए उपरोक्त पत्रावली पुनः वाजवे नंबर पर दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 04.03.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं दावा को पुनः रिस्टोर किया जाकर आगामी कार्यवाही की जावे ताकि वादी के साथ न्याय हो सके।

- प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली में जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली में सीधी बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से कथन किया गया प्रार्थी/वादी अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पत्रावली में नियत तारीख पेशी को न्यायालय समय में उपस्थित नहीं हो पाया व प्रार्थी/वादी भी चूरू से बाहर रहकर व्यवसाय करता है जिस कारण दिनांक 04.03.21 को उपस्थित नहीं हो सका। जिसके कारण दावा व प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता दावा/प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के वक्त अनुपस्थिति ऊपर वर्णित कारण व परिस्थितियों में हुई थी प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रहे थे। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सी पी सी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 दावा संख्या 480/2018 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 212 प्रार्थना 34/2018 शिशुपाल सिंह बनाम बंशीधर आदि निर्णय दिनांक 04.03.2021 जो अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज फरमाये जाने का जो आदेश पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण पुनः वाजबे नम्बर पर लिए जाने का व आगामी कार्यवाही किए जाने का आदेश फरमावें। न्यायहित में पत्रावली रिस्टोर करने का निवेदन किया हैं। अप्रार्थी अधिकवक्ता ने कथन किया कि वादी खातेदार नहीं है 4 से 5 बार पत्रावली पूर्व में रिस्टोर करवाई जा चुकी है। अतः पत्रावली को रिस्टोर किया जाना उचित नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
- प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में हाजा न्यायालय पर विचाराधीन प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 दावा संख्या 480/2018 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 212 प्रार्थना 34/2018 शिशुपाल सिंह बनाम बंशीधर आदि निर्णय दिनांक 04.03.2021 के अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज होने की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में किसी पक्षकार के विरूद्ध सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए की गई अग्रिम कार्यवाही से पीड़ित पक्षकार द्वारा न्यायालय द्वारा की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए सुनवाई का अधिकार देने हेतु अपनी अनुपस्थिति का कारण प्रस्तुत कर न्यायालय को संतुष्ट करते हुए न्यायालय से की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:04 IST
Reason: SelfAttested

शिशुपाल सिंह बनाम बंशीधर आदि
2021/16
2021/17
निर्णय दिनांकः–08.12.2025

- किसी न्यायालय में अधिवक्ता की तरफ से पैरवी में खामी का खामियाजा पक्षकार को नहीं देने बाबत् विधि का सुमान्य सिद्धांत है। अतः न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण विवाद के प्रश्न को बिना गुणवागुण कर निर्णित किये केवल प्रक्रियात्मक कमी की वजह से खारिज किया जाना उचित नहीं है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को प्रार्थी/वादी के प्रार्थना–पत्र/दावा के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अतः प्रार्थी/वादी के प्रार्थना–पत्र को पुनः सुनवाई पर लेने से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में गुणवागुण पर निर्णित करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सहमत है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना–पत्र पर अदम पैरवी में खारिज करने की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लिया जाता है।

- यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.12.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार–I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:04 IST
Reason: SelfAttested